लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/Estt/LSBA/05/16/ 0157 दिनांक: 29.03.2017

स्मार पत्र

प्रेषक,

बालामुरूगन डी. , भा0प्र0 से0,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषय : खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक BRLPS/LSBA-Estt/05/16/122 दिनांक 02.03.2017 |

महोदय,

यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि विगत कुछ महीनों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति में गति आयी है तथा राज्य के कुल 237 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है |

विभागीय पत्रांक 107/सी॰ दिनांक 08.11.2016 द्वारा खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किये जाने की एवं सत्यापन की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए है तथा दिनांक 25.02.2017 को राज्य स्तरीय उप विकास आयुक्त की बैठक में भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे |

सूचित करना है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह संकेत दिए गए हैं कि आगामी वर्ष से खुले में शौच से मुक्त घोषित एवं सत्यापित ग्राम पंचायतों के आधार पर ही SBM-G मद में राशि निर्गत की जायेगी | उक्त प्रसंग के आलोक में जिलों से अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है |

अत: अनुरोध है कि विभागीय दिशा-निर्देश पत्रांक 107/सी॰ दिनाक 08.11.2016 के आलोक में जिला अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त घोषित वार्ड/ग्राम पंचायत में सत्यापन की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारंभ कर विहित प्रपत्र में सत्यापन जांच प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे |

विश्वासभाजन,

29/3/17

(बालामुरूगन डी.)

ज्ञापांक: BRLPS/Estt/LSBA/05/16/ 0157 दिनांक: 29.03.2017

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ,पटना को सूचनार्थ समर्पित |

29/3/17

(बालामुरूगन डी.)